कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल म0प्र0

:: परिपत्र ::

क्रमांक–Q-26 भोपाल, दिनांक 05.04.2020

विषय– COVID-19 राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ– पूर्व में जारी कार्यालयीन परिपत्र :–

1.क्रमांक–Q-5 भोपाल दिनांक 25.03.2020,

2-.क्रमांक–Q-8 भोपाल दिनांक 27.03.2020,

3.क्रमांक–Q-18 भोपाल दिनांक 01.04.2020,

4.क्रमांक–Q-21 भोपाल दिनांक 04.04.2020,

5.क्रमांक–Q-22 भोपाल दिनांक 04.04.2020

--00--

संदर्भित परिपत्रों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देश और प्रसारित किये जाते हैं :–

1. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अनुमति हेतु भेजे गये ई–मेल में अपराध क्रमांक के साथ संबंधित आरक्षी केन्द्र का उल्लेख नहीं होता है।

अतः सभी अधिवक्ता/पक्षकार से यह अपेक्षा है कि उक्तानुसार आरक्षी केन्द्र का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

2. सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं सभी पक्षकार जमानत आवेदन/सुपुर्दगी आवेदन में निम्नानुसार विवरण दिया जाना सुनिश्चित करें और तदोपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें :–

(ए) न्यायालय का नाम (जिस न्यायालय से संबंधित प्रकरण है)
(बी) पीठासीन अधिकारी का नाम
(सी) आपराधिक प्रकरण क्रमांक/सत्र प्रकरण क्रमांक/विशेष प्रकरण क्रमांक
(डी) आरक्षी केन्द्र का नाम
(ई) अपराध क्रमांक
(एफ) केस डायरी आना है या न्यायालय का रिकार्ड
(जी) आवेदन कौन सा है जैसे–प्रथम/द्वितीय/तृतीय.....

उक्तानुसार जानकारी होने पर ही आवेदन सुनवाई हेतु ग्रहण किया जावेगा।

3. विद्वान अधिवक्ता/पक्षकार जिन्हें अर्जेन्ट आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी गई है वह अपना आवेदन न्यायालय भवन के गांधी हॉल में निर्धारित काउण्टर पर प्रस्तुत करेंगे इस हेतु न्यायालय कक्षों में प्रवेश नहीं करेंगे।

4. सभी आवेदनों पर सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी और संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार क्रमानुसार गांधी हॉल में अस्थायी रूप से स्थापित किये गये वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से ही अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ लिखित तर्क प्रस्तुत करने की दशा में सम्बंधित को सुनने की आवश्यकता नहीं होगी, अनुपस्थित रहने पर आवेदन का न्यायोचित निराकरण किया जा सकेगा।

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

Scanned with CamScanner

क्रमांक–Q-26 भोपाल, दिनांक 05.04.2020

प्रतिलिपि:–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना–प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

8– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

9– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

10– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।

11– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

Scanned with CamScanner